राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

प्रेस विज्ञप्ति

जयपुर। राज्य सरकार के आमत्रंण पर शिक्षकों की समस्याओ के निस्तारण की मॉग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का शिष्टमण्डल शासन सचिव स्कूल शिक्षा के नरेशपाल गंगवार से प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद शर्मा के नेतृत्व में मिला और करीब .03 घण्टे से अधिक समय तक विस्तृत चर्चा कर समस्याओ के निस्तारण करवाने का आग्रह किया।

संगठन के प्रदेश महामंत्री देवलाल गोचर ने बताया कि सोमवार को राज्य सरकार के बुलावे पर संगठन पदाधिकारियो ने विभागीय अधिकारियो के साथ समस्याओ का समाधान करने हेतु उच्च स्तरीय विस्तुत वार्ता की। उच्च अधिकारियो से हुयी वार्ता में संगठन के मांग पत्र के साथ तात्कालिक समस्याओ पर भी गहन मंथन किया गया तथा कुछ पर सहमति एवं परीक्षण करवाने के साथ ही वार्ता सम्पन्न हुयी।

महामंत्री गोचर ने बताया कि शिक्षको की प्रमुख तात्कालिक समस्याओ में वर्ष 2012 में नियुक्त वरिष्ठ अध्यापको का फिक्स वेतनमान 14430 के स्थान पर फिक्स वेतनमान के संशोधित फामूले के अनुसार 16290 का वेतनमान निर्धारित करने, 2012 में नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों को एरियर का भुगतान करवाने,स्टाफिंग पैटर्न के मानदण्डों पर पुर्नविचार कर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानदण्डानुसार करने,शारीरिक शिक्षक,पुस्तकालयध्यक्ष की बकाया डीपीसी करवाने,2005 में नियुक्त शिक्षको एवं प्रबोधक की असामयिक मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान करने, तदर्थ व्याख्याताओ का नियमितिकरण करने,विद्यालयो की सफाई हेतु दिये जाने वाले फण्ड में वृद्वि करने तथा शहरी क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था प्रारभ्भ करने,वचित पैरा टीचर्स को प्रबोधक बनाने,विभागीय जॉच व एसीपी प्रकरणो का समयबद्व निस्तारण करवाने,कम्पयूटर शिक्षक लगाने,कुक कम हैल्पर का मानदेय बढाने, कार्यालयो में निरीक्षण अधिकारियो एवं मंत्रालयिक कर्मचारियो के पद विद्यालय अनुपात में सृजन करने,शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से एसीपी का लाभ देने,मेडिक्लेम पॉलिसी की पुर्नसमीक्षा करवाने, अन्य विभागो के राजपत्रित अधिकारियो की तरह शिक्षा विभाग के राजपत्रितो की परीवीक्षाकाल अवधि 01 वर्ष करने,पातेय वेतन/तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों को कार्यरत पद के समस्त लाभ देने, नवक्रमोन्नत विद्यालयो में समस्त श्रेणी के पदो का सृजन करने,शिक्षकों को अवकाश के दिनो में कार्य के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश देने,कृषि विषय के तदर्थ व्याख्ताओं को कार्यरत पद का लाभ देने,शिक्षकों को माह की प्रथम तारीख को वेतन देने, पंचायत राज शिक्षको को कोषालय से वेतन भुगतान करवाने,1978 से 1989 तक पंचायत राज में नियुक्त शिक्षकों को वरिष्ठता एवं अन्य परिलाभ प्रथम नियुक्ति तिथि से देने,विद्यालय परिचालन के लिए छात्र कोष शुल्क का पुर्नभरण हेतु बजट आवंटन करने,प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक का पद आवंटन करने,पूर्व में अर्जित योग्यता के आधार पर डीपीसी कर पदोन्नति का लाभ देने,प्रयोगशाला सहायको को अध्यापक पद के समान ही वेतनमान देने,विभागीय नियमावली का प्रकाशन अपडेट वेबसाइट पर करवाने, प्रधानाध्यपक मार्गदर्शिका विभाग की वेबसाइट पर डलवाने,काउनिसिलिंग में भाग लेने वाले

शिक्षकों को यात्रा भत्ता व अवकाश का लाभ देने,प्रारभ्भिक शिक्षा की परिवेदनाओ का निस्तारण करवाने आदि पर विस्तृत चर्चा संगठन पदाधिकारियो व विभाग के अधिकारियो के साथ हुयी।

महामंत्री ने बताया कि वार्ता में वरिष्ठ अध्यापको की विसंगति मे सुधार हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाने,माननीय न्यायालय निर्णय अनुसार ही एरियर का भुगतान करने, विभागीय नियमावली को अपडेट करवाने,वरिष्ठ शारीरिक शिक्षको से व्याख्याता शारीरिक शिक्षक पद पर पदोन्नति 30 सितम्बर तक करवाने,ग्रामीण क्षेत्रो में सफाई हेतु दिये जाने वाले फण्ड 5000 में वृद्वि करने तथा शहरी क्षेत्रो में भी इस प्रकार की व्यवस्था प्रारम्भ करने पर विचार करने पर सहमति हुयी। 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों की असामयिक मृत्यू पर अनुकम्पा नियुक्ति देने के प्रस्ताव के अनुसार ही नियुक्ति देने पर सहमति, पूर्व में अर्जित योग्यता के आधार पर विभागीय गल्ती से वंचित शिक्षकों को ,पदोन्नति का लाभ देने पर सहमति,कृषि,वाणिज्य,गृह विज्ञान,सगीत,कला आदि के अध्यापको को प्रधानाध्यापक पद पर लगाने हेतु विभागीय स्तर पर समीक्षा करवाने,कुक कम हैल्पर के मानदेय में वृद्वि पर वित्त विभाग को प्रस्ताव भिजवाने,शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से एसीपी का लाभ देने का विभागीय व वित्त विभाग स्तर पर परीक्षण करवाने,अन्य विभागो में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियो की तरह ही व्याख्याता/प्रधानाध्यापक का परीवीक्षाकाल 01 वर्ष करने पर विचार कर परीक्षण करवाने पर सहमति दी गयी।विभागीय नियमावली का प्रकाशन अपडेट वेबसाइट पर करवाने, प्रधानाध्यपक मार्गदर्शिका विभाग की वेबसाइट पर डलवाने के निर्देश भी तत्काल जारी किये। पोषाहार का भुगतान अग्रिम करने के निर्देशो की पालना करवाने पर भी सहमति हुयी।

कार्यालयो में निरीक्षण अधिकारियो एवं मंत्रालयिक कर्मचारियो के पद विद्यालय अनुपात में सृजन करने पर हुयी चर्चा में विभागीय अधिकारियो ने उपशासन सचिव स्तर पर कमेटी गठित कर हल निकालने पर सहमति हुयी। वही प्रयोगशाला सहायको को अध्यापक पद पर वेतनमान देने पर विचार करने हेतु प्रस्ताव का परीक्षण करवाने की बात तय हुयी।पंचायत राज में नियुक्त शिक्षकों के वेतन कोषालय से भुगतान हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन बताया।

वार्ता में शासन सचिव नरेशपाल गंगवार के साथ संयुक्त शासन सचिव इन्द्रसिंह राव, उपशासन सचिव प्रारभ्भिक शिक्षा, उपशासन सचिव माध्यमिक शिक्षा, विशेषाधिकारी शिक्षा ग्रुप–2 के अधिकारियो के अलावा संगठन की और से प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, महामंत्री देवलाल गोचर, संगठनमंत्री महावीर प्रसाद सिंघल, प्रदेश मंत्री रवि आचार्य, उपाध्यक्ष प्राथमिक देवकीनन्दन सुमन,उपाध्यक्ष माध्यमिक नवीन कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा सम्मिलित हुए।